



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर

दिनांक – 20.10.2024

थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 561/2024 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/109 बीएनएस में वांछित  
03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

### संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 18.10.2024 को वादी श्री भूदेव सिंह पुत्र रामकुमार सिंह निवासी ग्राम सैन्दवार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.विनीत पुत्र नरेश निवासी ग्राम विरोपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर 2.मुनीजर उर्फ सुनील 3.एक व्यक्ति नाम व पता नामालूम निवासी ग्राम बमनौला थाना चांदपुर जनपद बिजनौर व 06 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा यशवीर पुत्र राम सिंह, सौरव पुत्र छोटे, विजय पुत्र मनकपाल, महेन्द्र पुत्र मनकपाल समस्त निवासीगण ग्राम सैन्दवार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर के साथ लोहे की रॉड, लोहे के खोचे व लाठी डन्डो से जान से मारने की नियत से मारपीट की गयी । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 561/2024 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/109 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



### कार्यवाही –

आज दिनांक 20.10.2024 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित व प्रकाश मे आये 03 अभियुक्तगण 1.विनीत पुत्र नरेश निवासी ग्राम वीरोपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर 2.गौरव पुत्र भूदेव सिंह निवासी ग्राम वीरोपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर 3.जितेन्द्र सिंह पुत्र नन्हू सिंह निवासी ग्राम बमनोला थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1.विनीत पुत्र नरेश निवासी ग्राम वीरोपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- 2.गौरव पुत्र भूदेव सिंह निवासी ग्राम वीरोपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- 3.जितेन्द्र सिंह पुत्र नन्हू सिंह निवासी ग्राम बमनोला थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- 2.हे0कां0 438 गजेन्द्र सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- 3.हे0कां0 241 रणधीर सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- 4.कां0 2567 संजीव कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- 5.कां0 2523 संदीप कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- 6.कां0 794 बालेन्द्र कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना शेरकोट

दिनांक 20.10.2024

**थाना शेरकोट पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 196/24 धारा 77/351(2) बीएनएस व धारा 67ए आई0टी0 एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

### संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 19.10.2024 को वादिया ने थाना शेरकोट पर तहरीर दी कि अभियुक्त नौशाद पुत्र शाहिद निवासी मौ0 शेखान थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ने वादिया की चोरी से आपत्तिजनक वीडियो बना ली तथा उसको वायरल कर दिया । इस संबंध में



थाना शेरकोट पर मु0अ0सं0 196/24 धारा 77/351(2) बीएनएस व धारा 67ए आई0टी0 एक्ट पंजीकृत किया गया है ।

### कार्यवाही –

थाना शेरकोट पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 196/24 धारा 77/351(2) बीएनएस व धारा 67ए आई0टी0 एक्ट में वांछित अभियुक्त नौशाद पुत्र शाहिद निवासी मौ0 शेखान थाना शेरकोट जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त से एक मोबाइल फोन बरामद किया गया ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

नौशाद पुत्र शाहिद निवासी मौ0 शेखान थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1- निरीक्षक शर्मिला शर्मा, क्षेत्राधिकारी अफजलगढ कार्यालय बिजनौर ।
- 2- आरक्षी सोनू कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ।
- 3- होमगार्ड जयपाल सिंह थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना बढापुर

दिनांक 20.10.2024

**थाना बढापुर पुलिस व आबकारी विभाग द्वारा 02 अभियुक्तों को अवैध देशी शराब व देशी शराब के पाउच सहित किया गिरफ्तार ।**

### कार्यवाही:-

जनपद में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री/परिवहन करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना बढापुर पुलिस व आबकारी विभाग द्वारा अभियुक्त कपिल कुमार पुत्र अतर सिंह निवासी ग्राम भगवानपुर थाना बढापुर जनपद बिजनौर को ग्राम हमजापुर कठैड स्कूल से भगवानपुर जाने वाले रास्ते से एक थैले में 16 पाउच सुनामी देशी शराब सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना बढापुर पर मु0अ0सं0 205/2024 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त अमित कुमार पुत्र हरस्वरूप निवासी ग्राम बेनीपुर थाना बढापुर जनपद बिजनौर को ग्राम कोपा से आगे गन्ना सेंटर के पास से एक जैरिकेन में 20 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना बढापुर पर मु0अ0सं0 206/2024 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

कपिल कुमार पुत्र अतर सिंह निवासी ग्राम भगवानपुर थाना बढापुर जनपद बिजनौर  
अमित कुमार पुत्र हरस्वरूप निवासी ग्राम बेनीपुर थाना बढापुर जनपद बिजनौर

### बरामदगी का विवरण:-

20 लीटर अवैध कच्ची शराब व 16 पाउच अवैध सुनामी मार्का देशी शराब ।

### आपराधिक इतिहास अभियुक्त कपिल कुमार उपरोक्त –

1. मु0अ0सं0 16/2020 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।
2. मु0अ0सं0 205/2024 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।

## आपराधिक इतिहास अभियुक्त अमित कुमार उपरोक्त -

1. मु0अ0सं0 138/2011 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना नगीना जनपद बिजनौर ।
2. मु0अ0सं0 61/2014 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।
3. मु0अ0सं0 31/2024 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना नगीना जनपद बिजनौर ।
4. मु0अ0सं0 206/2024 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 विनोद कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।
- 2.आरक्षी 2428 अरविन्द कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।
- 3.आरक्षी 2454 अरविन्द कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।
- 4.आरक्षी 2593 जितेन्द्र कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।
- 5.आबकारी आरक्षी योगेश कुमार क्षेत्र 05 नगीना बिजनौर ।
- 6.आबकारी आरक्षी विपुल चौधरी क्षेत्र 05 नगीना बिजनौर ।



जनपद बिजनौर  
प्रेस नोट:- थाना स्योहारा

दिनांक- 20.10.2024

**थाना स्योहारा पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

### कार्यवाही:-

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना स्योहारा पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त पिद्दा उर्फ तोतला पुत्र सईद फकार निवासी मौ० चौधरियान कस्बा सहसपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

पिद्दा उर्फ तोतला पुत्र सईद फकार निवासी मौ० चौधरियान कस्बा सहसपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

- 1.उ०नि० यशदेव शर्मा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
- 2.आरक्षी राजकुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।